667

RB/Estt. No. 144/2007

भारत सरकार /GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/ MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड /RAILWAY BOARD)

No.E(NG)I-2006/PM1/32

New Delhi, dated 07.11.2007

The General Managers (P)
All Indian Railways and PUs
(As per standard list)

Sub:-Procedure for conducting selections for promotion to the posts classified as 'Selection' – Qualifying Marks in Written Tests.

In terms of extant procedure contained in note (ii) below para 219(g) of IREM Vol. I, 1989 a candidate has to secure a minimum of 60% marks in the professional ability and 60% marks in aggregate for being empanelled for promotion within Group 'C'. The professional ability consists of written test in most of the cases OR written test plus viva-voce in a few cases and viva-voce alone in a few others. A candidate has to secure 60% marks in the written test for being called for viva-voce or for his service record etc. being assessed.

2. The Staff Side in the forum of DC-JCM have pointed out that on certain Railways securing 60% marks is insisted on separately in respect of each part of a question paper set for the written examination. It has been requested that Zonal Railways may be directed not to insist on securing 60% marks separately in each part of a question paper set for written examination as part of selections for promotions within group 'C'.

3. The information regarding the practices being followed by Zonal Railways & Production Units reveals that there is no uniformity in this regard. As a result while some Railways are insisting on securing of 60% marks separately in each part or paper of written examination while others are insisting on securing of 60% marks in aggregate irrespective of number of parts/papers written examination consists of. The matter has been considered carefully by this Ministry. It has been decided that in the written examination candidates should be required to secure 60% marks in each paper, if the written examination consists of more than one paper and not in each part of the question paper if the question papers consists of parts.

Please acknowledge receipt.

(Chander Shekhar)
Dy. Director Estt.(NG)I
Railway Board.

....2/-

आर.बी. स्था. सं. 144/2007

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई (एन जी)1-2006/पी एम1/32 नई दिल्ली, दिनांक 07.11.2007

महाप्रबंधक (कार्मिक)
सभी भारतीय रेलें एवं
उत्पादन इकाइयां
(मानक सूची के अनुसार).

विषयः 'चयन' के रूप में वर्गीकृत पदों पर पदोन्नति हेतु चयन आयोजित करने के लिए कार्यविधि-लिखित परीक्षाओं में अर्हक अंक.

भारतीय रेल स्थापना नियमावली वॉल्यूम I,1989 के पैरा 219(जी) के नीचे दिए गए नोट (ii) में अंतर्विष्ट मौजूदा कार्यविधि के अनुसार, किसी भी उम्मीदवार को समूह 'ग' के भीतर पदोन्नति के लिए पैनलबद्ध किए जाने हेतु व्यावसायिक योग्यता में न्यूनतम 60% अंक और कुल 60% अंक प्राप्त करने होते हैं. व्यावसायिक योग्यता के अंतर्गत ज्यादातर मामलों में लिखित परीक्षा **अथवा** कुछ मामलों में मौखिक परीक्षा सहित लिखित परीक्षा और कुछ अन्य में केवल मौखिक परीक्षा ली जाती है. किसी भी उम्मीदवार को मौखिक परीक्षा के लिए बुलाए जाने हेतु अथवा उसके सेवा रिकार्ड आदि आकलित किए जाने के लिए लिखित परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने होते हैं.

2. डी सी-जे सी एम की फोरम में कर्मचारी पक्ष ने मुद्दा उठाया है कि कतिपय रेलों पर लिखित परीक्षा के लिए बनाए गए प्रश्न पत्र के प्रत्येक भाग में अलग-अलग 60% अंक प्राप्त करने पर बल दिया जाता है. यह अनुरोध किया गया है कि क्षेत्रीय रेलों को समूह 'ग' के भीतर पदोन्नतियों हेतु चयनों के भाग के रूप में लिखित परीक्षा के लिए बनाए गए प्रश्न पत्र के प्रत्येक भाग में अलग-अलग 60% अंक प्राप्त करने पर बल न दिए जाने के निर्देश दिए जाएं.

3. क्षेत्रीय रेलों एवं उत्पादन इकाइयों द्वारा अपनाई जा रही पद्धतियों के संबंध में सूचना से यह पता चलता है कि इस संबंध में कोई एकरूपता नहीं है. परिणामस्वरूप लिखित परीक्षा में शामिल भागों/पेपरों की संख्या से इतर, कुछ रेलें लिखित परीक्षा के प्रत्येक भाग अथवा पेपर में अलग-अलग 60% अंक प्राप्त करने पर बल दे रही है जबकि अन्य रेलें कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त करने पर बल दे रही है. मामले पर इस मंत्रालय द्वारा सावधानीपूर्वक विचार किया गया है. यह विनिश्चय किया गया है कि लिखित परीक्षा

...2/-

में, उम्मीदवारों को, लिखित परीक्षा के प्रत्येक पेपर में यदि लिखित परीक्षा के एक से अधिक पेपर है, 60% अंक प्राप्त करना अपेक्षित है न कि प्रश्न पत्र के प्रत्येक भाग में, यदि प्रश्न पत्र के कई भाग हैं

कृपया पावती दें.

(चन्द्रशेखर)
उप. नि. स्था. (अराज.)I
रेलवे बोर्ड.

सं. ई (एन जी)1-2006/पी एम1/32 नई दिल्ली, दिनांक 07.11.2007

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. महासचिव, ऑल इंडियन रेलवेमैन फेडरेशन, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियां)
2. महासचिव, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन, कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियां).
3. राष्ट्रीय परिषद्/विभागीय परिषद् के सदस्य तथा कर्मचारी पक्ष के सचिव, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (60 प्रतियां).
4. महासचिव,फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियां)
5. महासचिव, इंडियन रेलवे प्रोमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली (5 प्रतियां)
6. महासचिव, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं. 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली-110001
7. सचिव, आरबीएसएस ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली
8. सचिव, आरबीएसएस ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन रेल भवन, नई दिल्ली
9. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली.
10. सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप डी कर्मचारी संघ, रेल भवन, नई दिल्ली
11. सचिव, रेलवे बोर्ड प्रोमोटी आफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली
12. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, लखनऊ.
13. सलाहकार/संरक्षा, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली.
14. महानिदेशक एवं पदेन महाप्रबंधक, अ.अ.मा.सं., लखनऊ.

कृते सचिव/रेलवे बोर्ड